

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2016/3593-858 दिनांक 08/6/2016

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी  
समस्त।

विषय:- कोषालय में प्राप्त सभी बिलों पर ऑनलाईन सिस्टम से ही ऑब्जेक्शन अंकित करने के संदर्भ में।

संदर्भ:- शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का पत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस./2266-2319 दिनांक 20.05.2016

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 5 के क्रम में राजकोष एप्लीकेशन पर कोष/उपकोष द्वारा बिलों को पारित करते समय यदि कोई आक्षेप है तो उनको सिस्टम पर दर्ज कर तथा उसी का प्रिन्ट लेकर कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर ही डी.डी.ओं./डिविजन को प्रेषित किया जाये। किसी प्रकार के मेन्यूअल/हाथ से लिखे गए आक्षेप मान्य नहीं होंगे। प्रिन्ट करने की प्रक्रिया का पाथ तथा सिस्टम से जनरेट होने वाली ऑब्जेक्शन स्लिप की सेम्पल कॉपी परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

कृपया उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय

  
(पंकज पाटनी)  
निदेशक

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2016/3859-860 दिनांक 08/6/2016  
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

  
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

परिशिष्ट 'अ'

TO LOGIN---AUDIT---BILL OBJECTION LIST—(ENTER TOKEN  
NO)—control-P(for printing this objection slip)



HomeFinancial Year:2016-2017 Welcome : VARUN

Date:4/6/2016Treasury Name:JAIPUR (SECTT.)

[HideHeader]Logout

Token ▶ Audit ▶ Authorization ▶ Cheque Print ▶ Receipt ▶ Interface ▶ Reports ▶ System Admin ▶ Help ▶

<b>Bill Objection List Details</b>	
TokenNo:	13401 <input type="button" value="Submit"/>

Objection Name	Auditor	Accountant	TO
reimburse as per medical rule appendix 11	rkjain	premchand	varun